केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 08.05.2017

सीबीआई ने 20 बैंक को 2223.13 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि पहुँचाने की जारी जॉंच में एक प्राइवेट कम्पनी के तत्कालीन चेयरमैन/ प्रोत्साहक को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने 20 बैंक को 2223.13 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि पहुँचाने की जारी जॉंच में कोलकाता की प्राइवेट कम्पनी के तत्कालीन चेयरमैन/ प्रोत्साहक को आज गिरफ्तार किया। आरोपी पूर्व में भारत से दूबई भाग गया था। उसे दुबई से लौटने के दौरान मुम्बई एयरपोर्ट पर रोका गया।

20 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित 25 बैंकों के संघ के सदस्य बैंकों से 2672 करोड़ रू. (लगभग) की धोखाधड़ी के आरोप से सम्बन्धित एस.बी.आई. की शिकायत पर कोलकाता की एक प्राइवेट कम्पनी ; इसके चेयरमैन/ प्रोत्साहकों/ निदेशकों ;अन्य कार्यकारी एवं अन्य अज्ञात बैंक कर्मियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 468 व 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत मामला दर्ज हुआ। 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों को 2223.13 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि हुई। ऐसा आरोप था कि आरोपियों ने धनराशि का अन्य मद में प्रयोग, कर्मचारियों/ सहायकों की सहायता से हॉंगकांग, सिंगापुर, यू.ए.ई. आदि देशों में अवस्थित मुखौटा कम्पनियों से कपटपूर्ण आयात, इस तरह से फैली मुखौटा कम्पनियों से निर्यात आय के अभाव के माध्यम से बैंको के साथ ठगी की। ऐसा भी आरोप था कि आरोपी सोने के आयात हेतु बैंको के संघ के एक सदस्य बैंक से आयात के लिए वित्त प्राप्त कर रहा था ; लेकिन सोने के

आभूषण के विनिर्माण के पश्चात, वे एक अन्य सदस्य बैंक से निर्यात के लिए वित्त प्राप्त कर रहे थे ताकि आयात के लिए वित्त की देन-दारियों को चुकता करने हेतु निर्यात के लाभों को बैंको के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। ऐसा आगे आरोप था कि आरोपियों ने कारखाना के निर्माण एवं अन्य देन-दारियों को चुकता करने जैसी लम्बी अवधि के प्रयोग हेतु कार्यकारी पूँजी ऋणों को बेईमानी से निकाला। आरोपियों ने कथित रूप से ऋणदाताओं के संज्ञान में लाए बिना ही पूँजी को प्राथमिक प्रतिभूतियों के तौर पर अपने विदेशी सहायको को प्रस्ताव के लिए भेज दिया एवं ज़ाली बुलियन व्यापार (Bullion trade) तथा मर्चेन्टिंग व्यापार के माध्यम से कथित रूप से हुई परेशानी को भी गलत तरीके से बैंको के समक्ष भारी हानि के तौर पर पेश किया, जिसके लिए बैंक वित्तीय सहायता नही देता।

गिरफ्तार आरोपी को मुम्बई की सक्षम अदालत में आज पेश किया जा रहा है।

आगे की जॉंच जारी है।

****